कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE **: www.mpbse.nic.in &** ***E-mail id*** **: mpbse@mp.nic.in**

क्रमांक/1879/संबद्धता/2019 भोपाल, दिनाँक 08/04/2019

प्रति

आयुक्त,
लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश भोपाल

विषयः– विभागीय मान्यता/अनुमति प्राप्त संस्थाओ के पोर्टल पर प्रविष्टी करने की तिथि के संबंध मे।

---//---

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल का आदेश क्रमांक–एफ 37–2/2015/20–3 भोपाल दिनांक 31.03.2017 द्वारा मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 (कमाक 23 सन 1965) की धारा 27 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य शासन एतद द्वारा माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओ की विभागीय मान्यता/अनुमति एवं मान्यता वृद्धि हेतु मान्यता नियम 2017 प्रसारित कर जिला शिक्षा अधिकारी/संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण को अधिकृत किया गया है।

जिला शिक्षा अधिकारी/संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण द्वारा वर्ष 2018–19 हेतु कक्षा 9वी/11वी एवं सत्र 2019–20 कक्षा 10वी 12वी की नवीन मान्यता प्रदाय की गई है। उक्त संस्थाओं में से जिन संस्थाओ द्वारा सम्वद्धता शुल्क का भुगतान नही किया गया है, ऐसी संस्थाओं को संबंद्धता शुल्क जमा करने हेतु ऑनलाइन सुविधा दिनांक 08.04.2019 से दिनांक 30.04.2019 तक प्रदाय की जाता है।

जिन संस्थाओ को जिला शिक्षा अधिकारी/संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण द्वारा वर्ष 2019–20 की नवीन मान्यता/मान्यता नवीनीकरण/अतिरिक्त संकाय की मान्यता प्रदाय की गयी है। उक्त संस्थाओ की **G2G** पोर्टल पर प्रविष्टि एवं संस्थाओं को सम्बद्धता शुल्क के ऑनलाईन भुगतान हेतु दिनांक 08.04.2019 से दिनांक 30.04.2019 तक का समय प्रदाय किया जाता है।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृष्ठा.क्रमांक/1880 /संबंद्धता/2019 भोपाल दिनाँक 08/04/2019

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, अध्यक्ष/सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. आयुक्त, आदिम जाति कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. अपर संचालक वित्त/परीक्षा नियंत्रक/उप सचिव/समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. चीफ सिस्टम ऑफिसर, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. जनसंपर्क अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. संचालक, एम.पी. ऑनलाईन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. आंचलिक/संभागीय अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं शासकीय संस्थाओ को सम्वद्धता प्रदाय किये जाने की आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण/जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल